हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

हि०शि०बो०/संबद्धता 38/2017/ 18713-20043 दिनांकः 23-12-2017

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य
हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त
सभी उच्च एवं उच्चतर निजी शिक्षण संस्थान,
हिमाचल प्रदेश, मेलिंग लिस्ट अनुसार।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय में निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के अभिभावकों उनके संबन्धियों, स्वंय सेवी संस्थाओं तथा बोर्ड द्वारा पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं से मौखिक एवं लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं तथा अनुरोध किया जा रहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों में बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों को ही पढ़ाया जाए जबकि निजी शिक्षण संस्थान निजी प्रकाशकों द्वारा मुद्रित/प्रकाशित की जा रही पाठ्यपुस्तकों को कक्षाओं मे छात्रों को पढ़ाई के लिए बाध्य करते हैं। जिन पुस्तकों का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होता और इन पुस्तकों के दाम भी बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की तुलना मे अधिक हैं। इन सभी प्रतिवेदकों का आग्रह है कि ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन/प्रधानाचार्यों के विरूद्व बोर्ड नियमों के अन्तर्गत नियमों की अवहेलना के लिए उचित कार्यवाही की जाये।

आपका ध्यान परीक्षा नियमावली 1994 के संबद्धता नियम 16.3.8(एम) की ओर आकर्षित करते हुए लिखा जाता है कि आप छात्रों को स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही पढ़ाई के लिए प्रयोग में ला सकते हैं किसी दूसरे निजी प्रकाशक की पुस्तकों का प्रयोग नियमों के अंतर्गत मान्य नहीं है। आपके शिक्षण संस्थान के संबद्धता आदेश के क्रं० संख्या 4 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि "बोर्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा अकस्मात निरीक्षण करने पर यदि यह पाया गया कि निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं या कोई अनियमितता पाई गई हो तो संबद्धता रद्द कर दी जाएगी"।

अतः नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत तथा संबद्धता आदेश की शर्तों के अन्तर्गत आप स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के तहत ही पढ़ाई करवाने के लिए बाध्य होंगे ऐसा न किए जाने पर आपके विरूद्व संबद्धता विनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत

PC No.: 34C DA Code: 877
ज्ञानालोक परिसर, धर्मशाला ज़िला काँगड़ा(हि०प्र०)-176213
दूरभाष/Tele: 01892-242....., 242....., 229037
फैक्स/fax: 01892-225419, 222817
Gayanalok Parisar, Dharamshala Distt. Kangra(HP)-176213
अणु डाक/e-mail : hpbose2011@gmail.com
Website : hpbose.org

कार्यवाही अम्ल में लाई जा सकती है जिसमें दूसरी अन्य कार्यवाही के अलावा आपकी संबद्धता को निलंबित किए जाने तथा रद्द किए जाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

अतः आपको अपने संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की सूची 15 दिनों के भीतर कक्षा बार बोर्ड कार्यालय को भेजनी होगी। जिसकी मॉग(demand) बोर्ड द्वारा पंजीकृत नजदीकी पुस्तक विक्रेता को देने के साथ-साथ संयुक्त सचिव पुस्तक वितरण शाखा के ई-मेल(hpbosejtsecycl@gmail.com), उप सचिव पुस्तक वितरण शाखा के ई-मेल (hpbosedysecycrsharma@gmail.com) और अनुभाग अधिकारी संबद्धता शाखा के ई-मेल (hpbosesoaff.38@gmail.com) पर विवरण भेजा जाना है जिससे आपके संस्थान को बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध करवायी जा सकें।

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि संलग्न मॉग प्रपत्र के साथ यह भी प्रमाणित/घोषित करेंगे कि आप बोर्ड द्वारा प्रकाशित/मुद्रित पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं जैसे कि नियमों में प्रावधान है।

उप सचिव (संबद्धता)
कृते सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय शिमला/मंडी।
2. सभी जिला प्रबंधक/मार्गदर्शन एवं पुस्तक वितरण केंद्र।
3. सभी स्कूल शिक्षा बोर्ड से पंजीकृत पाठ्यपुस्तक विक्रेता मेलिंग लिस्ट अनुसार।

- Sd -
उप सचिव (संबद्धता)
कृते सचिव।

"मॉंग पत्र"

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा संस्थान .... हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से कक्षा...तक संबद्वता कोड.............................एंव स्कूल कोड.................................... के अन्तर्गत संबद्वता प्राप्त संस्थान है। मेरे संस्थान में निम्नलिखित विद्यार्थियों का दाखिला कक्षाबार हुआ है, और सत्र 2018-19 के लिए संस्थान में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की मॉंग इस प्रकार से है:–

कक्षा	विद्यार्थी			संस्थान में पढाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की मॉंग
	छात्र	छात्रा	कुल	
1st				
2nd				
3rd				
4th				
5th				
6th				
7th				
8th				
9th				
10th				
11th				
12th				

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि हमारे संस्थान में हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, यदि बोर्ड द्वारा गठित निरीक्षण दल के औचक निरीक्षण के दौरान ऐसा नहीं पाया जाता है तो बोर्ड द्वारा संस्थान को प्रदान की गई संबद्वता को वापिस लिया जा सकता है/रदद्व किया जा सकता है, जिसके लिए स्कूल प्रशासन स्वंय उत्तरदायी होगा।

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/स्कूल प्रबन्धक

....

....